

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 343]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 11 जुलाई 2017—आषाढ़ 20, शक 1939

चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 11 जुलाई 2017

क्रमांक एफ— 5-45/2017/1-55 :: राज्य शासन एतद द्वारा, मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम (एमबीबीएस/बीडीएस) प्रवेश नियम 2017 में निम्नलिखित संशोधन करता है अर्थातः—

:: संशोधन ::

नियम क्रमांक—3 (5) में निम्नांकित परतुक जोड़ा जाये—

परन्तु प्रवेश परीक्षा के आवेदन फार्म में राज्य कोटे की सीटों (नियम—4 (1) में उल्लेखित अखिल भारतीय कोटा की सीटों को छोड़कर) के लिये स्थानीय निवासी की जानकारी नहीं दिये जाने के स्थिति में राज्य स्तरीय काउंसिलिंग में अभ्यर्थी द्वारा स्थानीय निवासी की जानकारी दी जाना होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भागीरथ सुनहरे, उपसचिव.